

31/8/22

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके अधिकारी  
अनुपस्थित। उक्त पत्रावली से संबंधित मूल  
पत्रावली वादी व उनके अधिकारिता अनुपस्थित  
होने से पत्रावली खदम धरती व अदम रैरवी  
में खारीज की जा चुकी है। अतः मूल पत्रावली  
खारीज होने से त्रा. पत्र अंतर्गत धारा 212  
RTA स्वतः ही खारीज हो गया है। अतः  
पत्रावली फेरुम शुमार होकर नं. से कर दो।

सहायक कलेक्टर  
शिवगंज (सिरोही)

